

राजस्थान सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय समूह कोटा
क्रमांक:-प.2()/स्था.अराज.-1/ न्यूरो.प्रोजे./यू.टी.बी./2018/ 1277 दिनांक:14जून, 2018

कार्यालय आदेश

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के पत्र दिनांक:-04.10.2016 के साथ संलग्न शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट (न्यूरोलोजी) की गाईड लाईन के अनुसार Field workers, को छः माह की अवधि के लिये पूर्णतया आवश्यक/अस्थाई आधार Urgent Temporary Basis पर फिक्स मानदेय पर भरे जाने हेतु आमंत्रित आवेदन-पत्रों की जाँच के उपरान्त दिनांक 04.06.2018 को चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थी का चयन कर अभ्यर्थी को उपस्थिति तिथि से छः माह की अवधि के लिये पूर्णतया आवश्यक/अस्थाई आधार Urgent Temporary Basis पर रू0 18000/- फिक्स मानदेय प्रतिमाह पर अस्थाई नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति पूर्णतया भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अध्याधीन रहेगी। चयनित अभ्यर्थी को दिनांक 25.06.2018 तक अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करनी होगी।

क्र.सं.	नाम अभ्यर्थी मय पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	वर्ग	विशेष विवरण
1.	श्री मनीष कुमार गौतम/श्री खेमराज गौतम,	21.05. 1996	सामा0	
2.	श्री राहुल गौतम/श्री ओमप्रकाश गौतम	22.08. 1988	सामा0	
3.	श्री अंकित शर्मा/श्री चन्द्रप्रकाश	30.12. 1993	सामा0	
4.	श्रीमति रेणु सैनी/श्री रामकल्याण सैनी	18.07. 1983	ओ0बी0सी0	रोस्टर बिन्दु 04 के अनुसार

नियुक्ति की शर्तें :-

1. नियुक्ति आवश्यक अस्थाई आधार (Urgent Temporary Basis) पर की गई है, इन्हे सेवाकाल में किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिये एवं बिना कोई कारण बताये सेवा से मुक्त किया जा सकता है।
2. यह नियुक्ति तीन माह के प्रोबेशनकाल के लिये की गई है, सेवाये सन्तोषजनक नहीं पाये जाने अथवा प्रोजेक्ट हेतु उपयुक्त नहीं पाये जाने पर कार्मिक को एक माह का नोटिस देकर सेवा से प्रथक किया जा सकेगा।
3. उपस्थिति तिथि से ही फिक्स मानदेय देय होगा।

करीश


4. उपरोक्त नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन (पुलिस वेरिफिकेशन) एवं स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल ज्यूरिस्ट से) प्रस्तुत किये जाने के अध्याधीन होगी। कर्मचारी को दिनांक 25.06.2018 तक उपस्थिति प्रस्तुत करनी होगी ।
5. नियुक्ति के स्थान पर पहुंचने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
6. 01.06.2002 के प्रशचात की स्थिति मे सन्तान घोषणा पत्र, विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने तथा अविवाहित होने पर भविष्य में दहेज नहीं लेने, धूम्रपान/तम्बाकू का सेवन नहीं करने एवं विवाह पंजीयन अथवा विवाह न होना का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. रोस्टर पॉइन्ट ओबीसी (नॉनकिमिलेयर) के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थिति के समय छः माह के अन्दर जारी किया गया ओबीसी (नॉनकिमिलेयर) का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी।
8. उपस्थिति के समय घोषणा पत्र देना होगा कि “आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेज यदि सत्यापित नहीं (सरकार द्वारा अमान्य) पाये गये तो मेरी नियुक्ति समाप्त करने एवं कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार होगा” ।

क्रमांक:-प.2()/स्था.अराज.-1/ न्यूरो.प्रोजे./यू.टी.बी./2018/1277

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
दिनांक: 4 जून, 2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0) एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर
3. अतिरिक्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज कोटा
4. अधीक्षक, एम.बी.एस/जे.के.लोन/नवीन चिकित्सालय कोटा
5. प्रिंसीपल इनवेस्टीगेटर, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, न्यूरोलोजी (विभागाध्यक्ष न्यूरोलोजी)
6. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी/अतिरिक्त निजी सचिव, मेडिकल कॉलेज कोटा
7. वेतन बिल शाखा अराज0/निजीशाखा/सामान्य शाखा/लेखाशाखा/विधिशाखा, मेडिकल कॉलेज कोटा
8. श्री.....को पालनार्थ
9. निजी पत्रावली/कार्यालय प्रति


प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक